



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-26072024-255775
CG-MH-E-26072024-255775

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 567]
No. 567]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 26, 2024/श्रावण 4, 1946
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 26, 2024/SHRAVANA 4, 1946

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
अधिसूचना
मुंबई, 25 जुलाई, 2024

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/195.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (छ) और धारा 12 के खंड (घ) एवं खंड (ड) के साथ पठित धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, यह निर्धारित करता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2022 1 नवम्बर, 2024 से लागू होंगे।

बबीता रायडू, कार्यपालक निदेशक
[विज्ञापन-III/4/असा./336/2024-25]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA NOTIFICATION

Mumbai, the 25th July, 2024

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/195.—In exercise of the powers conferred by section 30 read with clause (g) of sub-section (2) of section 11 and clauses (d) and (e) of section 12A of Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby appoints the 1st day of November, 2024 as the date on which the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Amendment) Regulations, 2022 shall come into force.

BABITHA RAYUDU, Executive Director
[ADVT.-III/4/Exty./336/2024-25]